न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 39 / 2023

श्री मदनलाल पुत्र छीतरमल माली निवासी शिवाजी कॉलोनी गली नं.18 तेजाजी महाराज मन्दिर के पास जिरात की ढाणी वार्ड नं.31 निवाई टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 06.12.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदया टोंक सहित प्रति उपजिला कलेक्टर, तहसीलदार व थानेदार थाना—निवाई, टोंक (राज.) प्रत्येक को पंजिकृत डाक से प्रेषित में आपका आमद कमांक दिनांक सहित अब तक की गई व नहीं की गई कार्यवाही सहित दिन प्रतिदिन का प्रगति रिपोर्ट एवं सम्बन्धित ओदश / निर्देश व नियम / कानून की कमवार तथ्यात्मक वैधानिक सूचना मय संबंधित की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1011 दिनांक 31.10.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक / 2023 / 684 दिनांक 10.11.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 652 दिनांक 31.10.2023 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक